



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.09.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा बरामद ।

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । गौरतलब हो कि दिनांक 04/05.09.2025 की रात्रि को थाना कोतवाली नगर पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान जेल रोड साहब तालाब शिव मंदिर के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ दिखाई दिया । पुलिस द्वारा व्यक्ति को हिरासत में लिया गया तथा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा बरामद हुआ ।

बरामदगी-

➤ 01 अवैध तमंचा 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

❖ शेखर सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी मु० सुदामापुरी जरैली कोठी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

➤ मु०अ०सं०- 732/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री अनुराग पाण्डेय
2. उ०नि० गौरव प्रताप सिंह
3. कां० जितेन्द्र द्विवेदी
4. कां० भागचन्द्र